उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-5

संख्या-76/2018/1574/1-5-2018-72/2017

लखनऊ : 18 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल विद्यमान जिला इलाहाबाद का नाम, जिला प्रयागराज के रूप में परिवर्तित करते हैं।

राज्यपाल अग्रतर निदेश देते हैं कि इस अधिसूचना की किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में पहले से प्रारम्भ की गयी या विचाराधीन किसी विधिक कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।